न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 02/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
चेलाराम पुत्र भाणाराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी–धमाणा, तहसील व जिला–सांचौर		1 सुरेश कुमार पुत्र किरतुरभाई, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–धमाणा तहसील व जिला–सांचौर 2 तहसीदलार भूमिधारी सांचौर

अन्तर्गत धारा :– 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवीर पुरोहित व गोरधनराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या राजपैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 11.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि मौजा धमाणा में नवीन खेत खसरा संख्या 1719/1240 रकबा 0.74 हैक्टेयर की आई हुई है जिसमें उत्तर दिशा में अप्रार्थी सुरेश कुमार का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1240 रकबा 0.63 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा अप्रार्थी हमेशा प्रार्थी के उक्त आराजी की माठें तोड़ता रहता है इस कारण प्रार्थी ने उक्त आराजी हल्का पटवारी व आर. आई के आदेश क्रमांक 35 दिनांक 17.12.2021 से करवाई तथा सुरेश कुमार ने मेरे द्वारा लगाई गई इंगले उखाड़कर माठ को बिखेर दिया इस कारण प्रार्थी के खेत की उतरी माठ पर स्थाई पत्थरगढ़ी की जावें। प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तामील बावजूद अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राज पैरोकार द्वारा मौका की जांच रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 12:17:00 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई [illegible] प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत [illegible] संख्या 1719/1240 रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि के उतरी भाग में अप्रार्थी सुरेश कुमार के खा[illegible] का खेत खसरा संख्या 1240 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि आई हुई है तथा अप्रार्थी प्रार्थी के खेत की हमेशा माठे तोड़ता रहता है प्रार्थी ने पूर्व में उक्त आराजी की पैमाइश करवाकर लोहे की इंगले लगाई थी, लेकिन

सहायक [illegible] सांचौर

अप्रार्थी ने उखाड़कर माठ बिखेर दी, इस कारण प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के बीच स्थाई नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सांचौर के नाम आदेश फरमावें।

अप्रार्थी राज पैरोकार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी चेलाराम ने अपने खसरा संख्या 1719/1240 की पैमाईश करवाई उक्त पैमाईश के समय हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन कर निशानत भी करवाये गये थे, किन्तु पड़ौसी खातेदार द्वारा पैमाईश के नाप अनुसार दोनों खसरा संख्या 1719/1240 के उतरी माठ तथा खसरा संख्या 1240 के दक्षिणी माठ के मध्य पैमाईश अनुसार नई माठ कायम नहीं करने दी गई दोनों खातेदारान् चेलाराम तथा सुरेश कुमार के खरीदसुदा खेत खसरा संख्या 1719/1240 व खसरा संख्या 1240 के मध्य माठ का विवाद है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी संवत् 2074–2077 से खेत खसरा संख्या 1719/1240 रकबा 0.74 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की होना व तहसीलदार सांचौर की जांच रिपोर्ट से खसरा संख्या 1719/1240 व खसरा संख्या 1240 के खातेदारान् के बीच माठ को लेकर विवाद होना प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि वांके सरहद मौजा धमाणा के खेत खसरा संख्या 1719/1240 रकबा 0.74 हैक्टेयर भूमि की पैमाइश कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त आराजी के उतरी माठ पर स्थाई नेखमबंदी करवाई जावे। नेखमबंदी का तमाम व्यय प्रार्थी स्वयं वहन करें।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 12:17:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner